राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमाक सं.3(3)(2)स्था/मंत्रा/अभि./2020/4902-10 दिनांक :- 9/6/2021

अभियोजन विभाग में चयनित/आंवटित

अभ्यर्थियों को दस्तावेजो के सत्यापन एवं कॉउंसलिंग के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 जयपुर दिंनाक **08.04.2021** के द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 के चयनित (603) पदो में से **10 अभ्यर्थी** तथा प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-NJRs जयपुर दिंनाक **15.05.2021** के द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित (689) पदो में से **13 अभ्यर्थियों** को जिलो का आवंटन एंव नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जानी है।

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग में आवंटित कुल 23 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं कॉउन्सलिंग दिनांक **14-06-2021** को अभियोजन निदेशालय, फूड बिल्डीग, कमरा नम्बर 7226, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में किया जाना है। जिसके लिए Documents Verification / Counseling का कार्यक्रम निम्नांनुसार है-

क्र. सं.	**काउंसलिंग की दिनांक 14-06-2021**	मैरिट संख्या	विशेष विवरण
1.	(10:00 AM TO 10:30 AM)	MERIT NO. 10192, 10374	सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो अभ्यर्थी।
2.	(10:31 AM TO 11:00 AM)	MERIT NO. 6631, 6707, 6743, 6764	चयनित (603) पदो में से **10 अभ्यर्थी** के वरियता अनुसार
3.	(11:01 AM TO 11:30 AM)	MERIT NO. 6767, 6770, 6776, 6794	
4.	(11:31 AM TO 12:00 PM)	MERIT NO. 4831, 4857, 4919, 4930	कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व कुल 703 अभ्यर्थियों में से चयनित (689) पदो में से **13 अभ्यर्थी**
5.	(12:01 PM TO 12:30 PM)	MERIT NO. 4966, 5005, 5058, 5075	
6.	(12:31 PM TO 01:30 PM)	MERIT NO. 7083, 7106, 7108, 19989, 24675	

निर्देशानुसार अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तो एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सम्पन किया जावेगा।

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।

4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों मे से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति–पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।
5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्समय कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।
7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 4699 दिनांक 24.05.2021 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने है। तथा उक्त दस्तावेजो एंव शपथ पत्रों के अपूर्ण होने की स्थिति में जिले का आवंटन नहीं किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उक्त दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग के दौरान समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा।
10. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी नियत की जा सकेगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाए विभागीय वेबसाईट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रकियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाईट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करे।

-sd-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–03) विभाग राज0 जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, सुरक्षा, शासन सचिवालय,राजस्थान जयपुर।
5. स्टोरकीपर अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड–19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु।
6. नोडल अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अभियोजन विभाग में चयनित/आंवटित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
8. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर